वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 09, 2015

एस.ओ.298.–रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 16) की धारा 69 की उप–धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, महानिरीक्षक रजिस्ट्रीकरण द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 69 की उप–धारा (1) द्वारा उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के लिए बनाये गये राजस्थान रजिस्ट्रीकरण नियम, 1955 (जिल्द–I) को और संशोधित करने के लिए इसके द्वारा निम्नलिखित नियमों का अनुमोदन करती है और उसका प्रकाशन करती है, अर्थात्:–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**– (1) इन नियमों का नाम राजस्थान रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) नियम (जिल्द–I), 2015 है।

(2) ये तुरंत प्रवृत्त होंगे।

2. **नियम 186 का संशोधन.**– राजस्थान रजिस्ट्रीकरण नियम, 1955 (जिल्द–I), जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के नियम 186 के उप–नियम (2) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "सम्मिलित करते हुए" के स्थान पर अभिव्यक्ति "के अतिरिक्त" प्रतिस्थापित की जायेगी।

3. **परिशिष्ट 1 के प्ररूप सं. 9 का प्रतिस्थापन.**– उक्त नियमों से संलग्न परिशिष्ट 1 के विद्यमान प्ररूप सं. 9 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:–

"परिशिष्ट 1 का प्ररूप सं. 9
(धारा 52 और नियम 76 और 131 देखिए)
फीस रसीद

कार्यालय का नाम..................
पक्षकार/कार्यालय प्रति   मुद्रण की दिनांक............

फीस रसीद सं. :		रसीद दिनांकः	
प्रस्तुतीकरण/आवेदन की दिनांकः		दस्तावेज क्र.सं.:	
आवेदक/प्रस्तुतकर्ता का नाम :		निष्पादक का नामः	
पताः		दस्तावेज का प्रकारः	
अंकित मूल्यः		मूल्यांकित मूल्यः	
सम्पति के ब्यौरेः			

वसूली गई फीस के ब्यौरे–

रजिस्ट्रीकरण फीसः		अभिरक्षा फीसः	
सी एस आई फीसः		मोहरबंद लिफाफा जमा कराने/प्रत्याहरण/खोलने की फीसः	
धारा 64 से 67 तक के अधीन ज्ञापन की फीसः		निरीक्षण और तलाशी की फीसः	
धारा 57 के अधीन प्रमाणित प्रति की फीसः		प्रकीर्ण फीसः	

धारा 25, 34 के अधीन जुर्मानाः		स्टाम्प शुल्कः	
कमीशन/उपस्थिति की फीसः		अधिभारः	
		नकद रकमः	
		नकद से भिन्न रकमः	
		कुल रकमः	

रकम के साथ संदाय की रीतियां

प्रतिलिपि या तलाशी प्रमाणपत्र के लिए प्रस्तुतकर्ता या आवेदक के हस्ताक्षर
खजांची के हस्ताक्षर

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर और प्राप्ति रसीद के लौटाने की दिनांक
रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर''

4. परिशिष्ट 1 के प्ररूप सं. 14 का प्रतिस्थापन.- उक्त नियमों से संलग्न परिशिष्ट 1 के विद्यमान प्ररूप सं. 14 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

''परिशिष्ट 1 का प्ररूप सं. 14
(नियम 74 और 131 देखिये)
फीस का रजिस्टर

.... से .... तक — कार्यालय का नाम.............

क्र. सं.	दस्तावेज क्र. सं.	पुस्तक सं.	दस्तावेज का प्रकार/ परिबद्ध प्रकरण/ रद्द रसीद	सामान्य रजिस्ट्रीकरण फीस	स्टाम्प शुल्क	कुल योग (5 से 6)	धारा 57 के अधीन प्रतिलिपिकरण फीस	कमीशन /विजिट फीस	अभिरक्षा फीस /शास्ति
				सी एस आई फीस	अधिभार		धारा 25, 34 के अधीन जुर्माना	प्रकीर्ण फीस	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			पृष्ठ योग						
			आगे ले जाया गया						

मोहरबंद लिफाफा (वसीयत) फीस	कुल फीस (7 से 11)	स्टाम्प	ई-स्टाम्प	फ्रेंकिंग	ई-ग्रास	मांग देय ड्राफ्ट	नकद	कुल योग (13 से 18)	रसीद सं.	उप-पंजीयक के लघु हस्ताक्षर
निरीक्षण /तलाशी फीस						पे आर्डर				
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

"

[एफ.4(4)वित्त/कर/2015-234]
राज्यपाल के आदेश से,

मनीष माथुर,
संयुक्त शासन सचिव

FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

NOTIFICATION
Jaipur, March 9, 2015

S.O.298.- In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 69 of the Registration Act, 1908 (Central Act No. 16 of 1908), the State Government hereby approve and publish the following rules further to amend the Rajasthan Registration Rules, 1955 (Volume-I), made by the Inspector General of Registration for Rajasthan, in exercise of the powers conferred on him by sub-section (1) of section 69 of the said Act, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These Rules may be called the Rajasthan Registration (Amendment) Rules (Volume-I), 2015.

(2) They shall come into force with immediate effect.

2. Amendment of rule 186.- In sub-rule (2) of rule 186 of the Rajasthan Registration Rules, 1955 (Volume-I), hereinafter referred to as the said rules, for the existing expression "inclusive of", the expression "in addition to" shall be substituted.

3. Substitution of Form No. 9 of Appendix I.- The existing Form No. 9 of Appendix I appended to the said rules, shall be substituted by the following, namely.-

"Appendix I Form No. 9
(see Section 52 & Rule 76 & 131)
Fee Receipt

Name of Office.................................

Party/Office Copy Print Date:......................

Fee Receipt No.:		Receipt Date:	
Date of Presentation/ Application :		Document S. No. :	
Name of Applicant/Presenter:		Name of Executant:	
Address :		Type of Document :	
Face Value:		Evaluated Value:	
Property Details:			

Details of fees realized-

Registration Fee:		Custody Fee:	
CSI fee:		Fee for deposit/withdrawal/ opening of sealed cover:	
Fee for Memorandum u/s 64 to 67:		Inspection and Search fee :	
Fee for certified copies u/s 57:		Misc. Fee:	
Fine u/s 25, 34:		Stamp Duty:	
Fee for commission/attendance :		Surcharge:	
		Cash Amount :	
		Other than Cash:	
		Total Amount:	

Modes of Payment with amount

Signature of Presenter or applicant for copy or search certificate

Signature of recipient and date of return of receipt

Signature of Cashier

Signature of Registering Officer"

4. Substitution of Form No. 14 of Appendix I.- The existing Form No. 14 of Appendix I appended to the said rules, shall be substituted by the following, namely.-

"Appendix I Form No. 14
(see Rule No. 74 & 131)
Register of Fee

From........................... to .... Name of Office.........................

S. No.	Document S.No.	Book No.	Document Type/ Impound Case/ Cancel Receipt	Ordinary Reg. Fee CSI fee	Stamp Duty Surcharge	Total (5 to 6)	copying Fee u/s 57 Fine u/s 25,34	Commission/ visit Fee Misc. Fee	Custody Fee/ Penalty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Page Total						
			Total CF						

Sealed Envelope (Will) fee Inspection /Search Fee	Total Fee (7 to 11)	Stamp	E-Stamp	Franking	E-Gras	DD Pay Order	Cash	Grand Total (13 to 18)	Receipt No.	SR Initials
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

"

[No.F.4(4)FD/Tax/2015-234]
By order of the Governor,

(Manish Mathur)
Jt. Secretary to the Government